न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 29/2005(जी.सी.एम.एस. 2005/00002)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. मोहन सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी कुरेशियां तहसील श्रीकरणपुर।	1. भाग सिंह पुत्र काला सिंह जाति बावरी निवासी 40 एनपी तहसील रायसिंहनगर(मृतक) 1/1. खजान सिंह पुत्र भाग सिंह जाति बावरी निवासी 40 एनपी तहसील रायसिंहनगर। 1/2. निशान सिंह पुत्र भाग सिंह जाति बावरी निवासी 40 एनपी तहसील रायसिंहनगर। 1/3. शाम सिंह पुत्र भाग सिंह जाति बावरी निवासी 40 एनपी तहसील रायसिंहनगर। 1/4. जंगीरो उर्फ रामप्यारी पत्नी हरपाल सिंह पुत्री भाग सिंह जाति बावरी निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर। 2. शेर सिंह पुत्र काला सिंह जाति बावरी निवासी कुरेशिया तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 2/1. दयालों पत्नी चिडिया पुत्री शेर सिंह जाति बावरी निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर। 2/2. रजी पुत्री शेर सिंह पत्नी शेर सिंह जाति बावरी निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर। 2/3. अमरजीत सिंह पुत्र बोगा सिंह जाति बावरी निवासी जैतसर तहसील श्रीकरणपुर। 2/4. इन्द्रजीत सिंह पुत्र बोगा सिंह जाति बावरी निवासी कुरेशिया तहसील श्रीकरणपुर। 2/5. मीना पत्नी बुधराम पुत्री बोगा सिंह जाति बावरी निवासी 10 ओ तेजेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2/6. गीता पुत्री बोगा सिंह जाति बावरी निवासी गोमावाली ढाणी तहसील रायसिंहनगर। 2/7. राजू पत्नी वीर सिंह पुत्री बोगा सिंह जाति बावरी निवासी मीरां चौक श्रीगंगानगर। 2/8. सुखदेव सिंह पुत्र वीर सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 2/9. जीत सिंह पुत्र वीर सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 2/10. प्रीत सिंह पुत्र वीर सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर। 2/11. ज्ञानों पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी 3 टी छोटी, केसरीसिंहपुर। 2/12. गुड्डी देवी पुत्री शेर सिंह जाति बावरी निवासी कुरेशिया तहसील श्रीकरणपुर। 3. मेहर सिंह पुत्र काला सिंह जाति बावरी निवासी बसीर तहसील व जिला हनुमानगढ। 4. केहर सिंह पुत्र काला सिंह जाति बावरी निवासी बसीर तहसील टीबी जिला हनुमानगढ(मृतक) 4/1. बूटा सिंह पुत्र केहर सिंह जाति बावरी निवासी बसीर तहसील टीबी जिला हनुमानगढ। 4/2. मक्खन सिंह पुत्र केहर सिंह जाति बावरी निवासी बसीर तहसील टीबी जिला हनुमानगढ। 4/3. कपूर सिंह पुत्र केहर सिंह जाति बावरी निवासी बसीर तहसील टीबी जिला हनुमानगढ। 4/4. पालू सिंह पुत्र केहर सिंह जाति बावरी निवासी बसीर तहसील टीबी जिला हनुमानगढ। 4/5. नामो पत्नी बिशन सिंह जाति बावरी निवासी बसीर तहसील टीबी जिला हनुमानगढ। 5. गुरदयाल सिंह पुत्र विष्णु सिंह पुत्र भागो जाति बावरी निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 6. बन्शो पत्नी ज्ञान सिंह पुत्रवधु टेक सिंह जाति बावरी निवासी अरायण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

	तहसील श्रीकरणपुर। 7. ध्यान सिंह पुत्र टेक सिंह जाति बावरी निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 8. सर्फो उर्फ बचनकौर पत्नी काला सिंह पुत्री टेक सिंह जाति बावरी निवासी सिंगेवाला तहसील डबवाली। 9. दीवान सिंह पुत्र टेक सिंह जाति बावरी निवासी 53 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 10. अजुर्न सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र महेन्द्रो जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 11. सुरजन सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र महेन्द्रो जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 12. मोहन सिंह पुत्र शेर सिंह पुत्र महेन्द्रो जाति बावरी निवासी 62 एफ तहसील श्रीकरणपुर। 13. भेजनो पत्नी जगदीश पुत्री महेन्द्रो जाति बावरी निवासी 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर। 14. ज्ञानों पत्नी बलवीर सिंह पुत्री महेन्द्रो जाति बावरी निवासी 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर। 15. धनकौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह पुत्री महेन्द्रो निवासी बन्जोर तहसील अनुपगढ। 16. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 30.05.2005

उपस्थित अभिभाषकगण:-

1. श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता वादी

2.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4, 2/2,2/10, 2/12

3. श्री अजय कुमार बिश्नोई प्रतिवादी संख्या 5, 10, 12, 13, 14

--निर्णय-- **दिनांक : 19.11.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि काला सिंह जाति बावरी निवासी 49 जीजीए तहसील श्रीकरणपुर ने राजस्व ग्राम 49 जीजीए की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 2061 के खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 3, 13, 51/12 की कुल 9.511 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुकिन खाला भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.04.1962 को वादी को बेचान कर दी थी। उक्त आराजी खरीद करने की दिनांक 23.04. 1962 से पानी की पर्ची वादी के नाम बंधी हुई है और आज तक लगातार उक्त रकबा पर वादी का कब्जा काश्त है। काला सिंह पुत्र दल सिंह उक्त आराजी बेचान करने के काफी अर्सा बाद फौत हो गया था। वादी का उक्त आराजी पर कब्जा लगभग 43 वर्षो से अधिक का हो चुका है। वादी उक्त आराजी का बैयनामा की रूह से व कब्जा काश्त की रूह से खातेदार मालिक बन चुका है। प्रतिवादीगण का राइट टू रिकवर पोजेशन मियाद बाहर हो चुका है। इसलिए धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं रहा है। ऐसी सूरत में बैयनामा की रूह से वादी उक्त रकबा का मालिक बन चुका है। काला सिंह पुत्र दल सिंह जाति बावरी निवासी 49 जीजीए की जाति बावरी है। सन् 1976 से पूर्व राजस्थान की अनुसूचित जाति की लिस्ट में बावरी जाति शामिल नहीं थी और आराजी का बेचान दिनांक 23.04.1962 को हुआ है। इसलिए उक्त आराजी का इन्तकाल बैयनामा की रूह से वादी के पक्ष में दर्ज करना कोई कानूनी अडचन नहीं है। दिनांक 23.04.1962 को बावरी जाति स्वर्ण जाति में शामिल थी। इसलिए दिनांक 23.04.1962 को वादी के पक्ष में बेचान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के विपरीत नहीं है। इसलिए वादी बैयनामा की रूह से उक्त आराजी अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने का हकदार है। वादी को गांव से पता चला कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 उक्त आराजी अपने नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज कराकर बेचान करने की फिराक में है। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादी को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण को कहा कि वादी के द्वारा खरीदशुदा आराजी का इन्तकाल खातेदारी द्वारा वादी के नाम दर्ज करा देवें लेकिन पहले तो वे टालते रहे और दिनांक 23.05.2005 को साफ इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश करके अर्ज है कि राजस्व ग्राम 49 जीजीए के मुरब्बा नम्बर 3, 13, 51/12 की कुल 9.511 हैक्टेयर नहरी भूमि का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

वादी को खातेदार घोषित किया जावे और इस अमर का ओदश वास्ते अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड तहसीलदार श्रीकरणपुर को भेजा जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यू के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 4 के विधिक वारिसान को दावा में बतौर प्रतिवादी संख्या 4/1 ता 4/5 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 5, 10, 12, 13, 14 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई उपस्थित आए व प्रतिवादी संख्या 5, 10, 12 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 7, 8, 15 की तलवी जरिए दैनिक अखबार प्रकाशन से करवाई गई। इसके बाद बावजूद इतला के पेश नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 5, 10, 12, 13, 14 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादगत भूमि मृतक काला सिंह को परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटित हुआ था व मृतक काला सिंह के परिवार के सदस्य उक्त आराजी के बराबर-बराबर के हिस्सेदार व हकदार है। इसलिए मृतक काला सिंह को उक्त रकबा को बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा होने के कारण प्रतिवादीगण के अधिकारों पर इसका कोई असर नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा अपना उक्त हिस्सा ठेका पर उन्नत कृषि हेतु वादी को दिया जाता रहा है। वादी द्वारा मनगढत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के रकवा पर कब्जा कर लिया गया है। वादी स्वर्ण जाति का है व प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है। प्रतिवादीगण के रकबा पर वादी का जबरन कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण को अपने रकबा से वादी को बेदखल करवाने का पूर्ण अधिकार है। अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वादी का दावा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एंव प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 49 जीजीए की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 2061 के खाता संख्या 3/3 के मुरब्बा नम्बर 3, 13, 51/12 की कुल 9.511 हैक्टेयर नहरी भूमि से वादी को बेदखल कर उक्त रकबा का कब्जा प्रतिवादीगण को दिलवाया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 शेर सिंह की मृत्यू के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया व प्रतिवादी संख्या 4 के विधिक वारिसान को प्रकरण में बतौर प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/12 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1 ता 2/12 की तलवी जरिए दैनिक अखबार प्रकाशन से करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 2/2, 2/10, 2/12 की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 2/1, 2/3 ता 2/9, 2/11 बावजूद इतला के पेश नहीं होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2/2, 2/10 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी का वादपत्र खारिज किया जाकर चक 49 जीजीए के मुरब्बा नम्बर 3, 13 की कुल 9.511 हैक्टेयर नहरी भूमि पर वादी का कब्जा खिलाफ कानून व नाजायज होने की वजह से वादी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर वादाधीन भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया जावे तथा वादाधीन भूमि में प्रतिवादीगण को उनके हिस्सानुसार खातेदार घोषित किया जावे। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 भाग सिंह की मृत्यू के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को बतौर प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/4 के रूप में संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/3, ज्ञान कौर की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा उपस्थित आए व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार वादी का वादपत्र खारिज किया जाकर चक 49 जीजीए के मुरब्बा नम्बर 3, 13 की कुल 9.511 हैक्टेयर नहरी भूमि पर वादी का कब्जा खिलाफ कानून व नाजायज होने की वजह से वादी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर वादाधीन भूमि का कब्जा प्रतिवादीगण को दिलाया जावे तथा वादाधीन भूमि में प्रतिवादीगण को उनके हिस्सानुसार खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1/4 की तलवी जरिए दैनिक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अखबार प्रकाशन से करवाई गई। बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 148 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर जवाब काउन्टर क्लेम रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश दिए गए। जवाब काउन्टर क्लेम के अनुसार काउन्टर क्लेमकर्ता का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर वादी का दावा डिक्री किये जाने के आदेश दिए जावे।

3. हमने प्रकरण में निम्न विवाद्यक विरचित किए:-

(i)आया कि क्या वादी विवादित भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है?

-जिम्मे वादी-

(ii)आया कि क्या दावा मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है?

-जिम्मे प्रतिवादी-

(iii)आया कि क्या प्रतिवादीगण वादी को विवादित भूमि से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

-जिम्मे प्रतिवादी-

(iv)अनुतोष।

(v) आया कि क्या बेचान धारा 42 आरटीए उल्लघंन में किया गया है?

-जिम्मे वादी-

(vi) आया कि क्या वादगत भूमि की खरीद की दिनांक 23.04.1962 को बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं होकर स्वर्ण जाति की श्रेणी में थे। इसलिए यह वेचान दिनांक 23.04.1962 कानूनन सही एंव वैध है?

-जिम्मे वादी-

4. अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 राजस्व ग्राम 49 जीजीए की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 2061 के खाता संख्या 3/3 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-2 असल पंजीकृत बैयनामा 23.04.1962 की प्रति, स्वंय वादी मोहन सिंह का साक्ष्य शपथपत्र पत्र पेश किया, जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादीगण के द्वारा की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह निशान सिंह उपस्थित आया व स्वंय प्रतिवादी निशान सिंह का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया, जो सामिल मिसल है। जिरह वकील वादी के द्वारा की गई।

5. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी व माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Civil Apeal No- 401 of 1964, D/-23-09-1964. B. Basavalingappa, Appellant v. D.MUnichinnappa and others, Respondents, Parasram and another, Versus Shivchand And others, Civil Appeal No. 1869 of 1967, D/- 28-11-1968ए माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर बेंच के न्यायिक दृष्टांत [D.B- Civil Special Appeal (Writ) No. 182 of 2000; decided on 28-04-2008 Madghu devi(Smt.) &Ors. Versus Board of Revenue For Rajasthan & Ors. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 211 गंगानगर/79, निर्णीत दिनांक 12.06.1981, मोहनलाल बनाम मघांराम, Heera Lal versus State of Raj. & ors. Appeal Nos. 6014, 6093/ Chittorgarh of 2003, decided on 07 March 2018, Sukhwantsingh & ors. Versus State of Raj. Appeal I.D. No. 4789/Sriganganagar of 04, decided on 2nd june, 2008. Ram kumar versus Patram Appeal No. 145/ganganagar of 74, decided on 4th june, 1979. State of Rajasthan Thro Tehsildar Sanganer, Jaipur versus Gajanand & Ors. Appeal/Decree/T.A./520/2022/jaipur; decided on 16-01-2014. Gurcharan Singh Versus Nathuram, Appeal No. 333/Sri ganganagar of 78, decided on 2^{6th} May, 1980 व न्यायिक दृष्टान्त State of Raj. Versus Kesha& Ors. Appeal No. 166/Udaipur of 97, decided on 3rd September 2001 का ससम्मान अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भी भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया गया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या (i):आया कि क्या वादी विवादित भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में राजस्व ग्राम 49 जीजीए की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 2061 के खाता संख्या 3/3 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श-1, विवादित भूमि का असल पंजीकृत बैयनामा 23.04.1962 की प्रति प्रदर्श-2 पेश की। साथ में वादी द्वारा साक्ष्यवादी के दौरान स्वय वादी मोहन सिंह का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
करणपुर

साक्ष्य शपथ पत्र, प्रस्तुत किया। वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 61 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 49 जीजी ए के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 20, 24, 25, मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 4, 9 ता 12, 17 ता 24, मुरब्बा नम्बर 51/12 की कुल 9.511 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि काला सिंह वल्द दल सिंह कौम बावरी सा.देह खातेदार दर्ज है। वादी के द्वारा अपने वादपत्र में कथन किए गए है कि काला सिंह वल्द दल सिंह के द्वारा वादगत भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.04.1962 को वादी मोहन सिंह को बेचान कर दी थी। उक्त आराजी खरीद करने की दिनांक 23.04. 1962 से पानी की पर्ची वादी के नाम बंधी हुई है और आज तक लगातार उक्त रकबा पर वादी का कब्जा काश्त है। काला सिंह पुत्र दल सिंह उक्त आराजी बेचान करने के काफी अर्सा बाद फौत हो गया था। वादी का उक्त आराजी पर कब्जा लगभग 43 वर्षो से अधिक का हो चुका है। वादी उक्त आराजी का बैयनामा की रूह से व कब्जा काश्त की रूह से खातेदार मालिक बन चुका है। प्रतिवादीगण का राइट टू रिकवर पोजेशन मियाद बाहर हो चुका है। इसलिए धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक नहीं रहा है। ऐसी सूरत में बैयनामा की रूह से वादी उक्त रकबा का मालिक बन चुका है। काला सिंह पुत्र दल सिंह जाति बावरी निवासी 49 जीजीए की जाति बावरी है। सन् 1976 से पूर्व राजस्थान की अनुसूचित जाति की लिस्ट में बावरी जाति शामिल नहीं थी और आराजी का बेचान दिनांक 23.04.1962 को हुआ है। इसलिए उक्त आराजी का इन्तकाल बैयनामा की रूह से वादी के पक्ष में दर्ज करना कोई कानूनी अडचन नहीं है। दिनांक 23.04.1962 को बावरी जाति स्वर्ण जाति में शामिल थी। इसलिए दिनांक 23.04.1962 को वादी के पक्ष में बेचान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के विपरीत नहीं है। इसलिए वादी बैयनामा की रूह से उक्त आराजी अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने का हकदार है। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा अपने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम में कथन किए गए है कि वादगत भूमि मृतक काला सिंह को परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटित हुआ था व मृतक काला सिंह के परिवार के सदस्य उक्त आराजी के बराबर-बराबर के हिस्सेदार व हकदार है। इसलिए मृतक काला सिंह को उक्त रकबा को बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा होने के कारण प्रतिवादीगण के अधिकारों पर इसका कोई असर नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा अपना उक्त हिस्सा ठेका पर उन्नत कृषि हेतु वादी को दिया जाता रहा है। वादी द्वारा मनगढत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के रकबा पर कब्जा कर लिया गया है। वादी स्वर्ण जाति का है व प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है। प्रतिवादीगण के रकबा पर वादी का जबरन कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण को अपने रकबा से वादी को बेदखल करवाने का पूर्ण अधिकार है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादी, जिसकी जाति जटसिख थी, के द्वारा उक्त भूमि काला सिंह पुत्र दल सिंह कौम बावरी निवासी 49 जीजीए कुरेशिया से दिनांक 23.04.1962 से जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद की थी। इस बैयनामा को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं करवाया गया है। पानी की पर्ची भी क्रेतागण के नाम पर बंधी हुई है। कब्जाकाश्त भी क्रेतागण का है। THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER 1950 के मुताबिक बावरी जाति विक्रय अभिलेख की निष्पादित तिथि 23.04.1962 को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सामिल नहीं थी। THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 1976 के अनुसार बावरी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में 1976 को सामिल किया गया है। लिहाजा भारत सरकार व राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर बावरी जाति को वर्ष 1976 के बाद अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया है। बैयनामा दिनांक 23.04.1962 वैध है। जिसके आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि चक 49 जीजी ए के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 20, 24, 25, मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 4, 9 ता 12, 17 ता 24, मुरब्बा नम्बर 51/12 की कुल 9.511 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। अतः वादी तनकी संख्या 1 को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। यह तनकी बहक वादी एंव विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तनकी संख्या (ii) : आया कि क्या दावा मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। वादगत भूमि के पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.04.1962 को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया गया है। इसलिए उक्त पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.04.1962 अस्तित्व में है। लिहाजा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को मियाद बाहर नहीं कहा जा सकता हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (iii): आया कि क्या प्रतिवादीगण वादी को विवादित भूमि से बेदखल करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किए गए है कि वादगत भूमि मृतक काला सिंह को परिवार के सदस्यों के आधार पर आवंटित हुआ था व मृतक काला सिंह के परिवार के सदस्य उक्त आराजी के बराबर-बराबर के हिस्सेदार व हकदार है। इसलिए मृतक काला सिंह को उक्त रकबा को बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा होने के कारण प्रतिवादीगण के अधिकारों पर इसका कोई असर नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा अपना उक्त हिस्सा ठेका पर उन्नत कृषि हेतु वादी को दिया जाता रहा है। वादी द्वारा मनगढत तथ्यों के आधार पर दावा प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के रकबा पर कब्जा कर लिया गया है। वादी स्वर्ण जाति का है व प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है। प्रतिवादीगण के रकबा पर वादी का जबरन कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण को अपने रकबा से वादी को बेदखल करवाने का पूर्ण अधिकार है।

उपर्युक्त तनकी के संबध में हमारा विनम्र अभिमत है कि तथाकथित पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.04.1962 को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवाया गया है। पंजीकृत बैयनामा को शून्य व अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। पूर्व में तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। इसमें वादग्रस्त भूमि का बैयनामा दिनांक 23.04.1962 को वैध मानकर वादी को खातेदार घोषित होने का हकदार माना गया है तथा पंजीकृत बैयनामा के आधार पर वादी वादगत भूमि पर काबिज है। जिसे बतौर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाना उचित नहीं हैं। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या (v): आया कि क्या बेचान धारा 42 आरटीए उल्लघंन में किया गया है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा वादपत्र में कथन किए गए है कि दिनांक 23.04.1962 को बावरी जाति स्वर्ण जाति में शामिल थी। इसलिए दिनांक 23.04.1962 को वादी के पक्ष में बेचान धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के विपरीत नहीं है। इसलिए वादी बैयनामा की रूह से उक्त आराजी अपने नाम खातेदारी घोषित करवाने का हकदार है। लिहाजा वादी के द्वारा उक्त भूमि काला सिंह पुत्र दल सिंह कौम बावरी निवासी 49 जीजीए कुरेशिया से दिनांक 23.04.1962 को जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद की थी, उस समय THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER 1950 में बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित नहीं थी। Bawaria जाति सामिल थी। Baori जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 1976 में सामिल किया गया है। प्रतिवादीगण उक्त तनकी में इस तथ्य को साबित करने में असफल रहे है कि विवादित भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति से गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हुआ है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या(vi): आया कि क्या वादगत भूमि की खरीद की दिनांक 23.04.1962 को बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं होकर स्वर्ण जाति की श्रेणी में थे। इसलिए यह बेचान दिनांक 23.04.1962 कानूनन सही एंव वैध है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। उक्त तनकी का वर्णन तनकी संख्या 1 में किया जा चुका है तथा तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में निर्णीत हो चुकी है। अतः यह तनकी भी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

(iv)अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1, 5, 6 वादी के पक्ष में व तनकी संख्या 2, 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादी को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

6. अतः वादी के वादपत्र, प्रतिवादीगण के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम, जवाब काउन्टर क्लेम व विवाद्यकों के पृथक-पृथक निर्णयों के आलोक से हम निम्नानुसार विवेचन करना उचित समझते है कि पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.04.1962 से चक 49 जीजी ए के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 20, 24, 25, मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 4, 9 ता 12, 17 ता 24, मुरब्बा नम्बर 51/12 की कुल 9.511 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि का बेचान बावरी जाति के व्यक्ति द्वारा जटसिख जाति के व्यक्ति करवाया गया था। वर्तमान में बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 42 में उक्त बेचान प्रतिबंधित है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त Reference No. 4794/2004/LR/Jodhpur: State of Rajasthan etc. Versus Bhairaram etc. decided on 11 March 2013 में Legislative history of Section 42 के अनुसार " The Act" was enforced from 15.10.1955 and on that, Section transperred will exceed 90 acres of unirrigated or 30 acres of irrigated land. Explanation- IF such land is partly irrigated and partly unirrigated, one acre of irrigated land, shall, for calculating the area of land for the purpose of this Section, be deemed to be equivalent to three acres of unirrigated land. Thus, according to this Section, the restriction was confined to the transfreree who could not acquire land, by sale or gift, more than the limits placed in this Section" The Act" was for the first time amended by the Act no.27 of 1956 dated 22.09.1956, which received the assent of the President on 14.09.1956, In this Amendment Act, this Section was not touched. Section 42 was then amended by the Rajasthan Tenancy (Second) Amendment Act, 1956 (Act 28 of 1956) which also came into force on 22.09.1956 . By this Amendment Act, a proviso to Section 42 was added. The proviso added was as under: As on 22.09.1956 " Provided that no khatedar tenant being a member of Scheduled Caste or a Scheduled Tribe shall so transfer his rights in the whole or a part of his holding to any person who is not a member of a Schedeled Caste or a Schedeled Tribe." The provisions as now stand after Amendment Act No. 12 of 1964 effective from 01.05.1964 run as follows: "42. General Restrictions on sale, gift and beqest- The sale, gift or bequest by a khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if-

(a) deleted w.e.f. 11.11.1992

(b) Such sale, gift or bequest is by a member of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Scheduled Tribe;

(bb) Such sale, gift or bequest, notwithstanding anything contained in clause (b), if by member of Saharia Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the said Saharia Tribe.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 5 उपधारा 37(क) के अनुसार" अनुसूचित जाति" से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश,1950 के भाग 14 में विनिर्दिष्ट में से कोई भी जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा इन जातियों या जनजातियों में से कोई भी सदस्य या उनमें के समूह अभिप्रेत है;

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER 1950 में अनुसूचित जाति की श्रेणी में Bawaria सम्मिलित थी, बावरी जाति सामिल नहीं थी। Baori जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) ACT, 1976 में सम्मिलित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 211 गंगानगर/79, निर्णीत दिनांक 12.06.1981, मोहनलाल बनाम मघांराम में वर्णित किया गया है कि 1976 से पूर्व राजस्थान के लिए अनुसूचित जाति की सूची में अजमेर जिले में बावरी को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया किन्तु अन्य जिलों में शामिल नहीं किया गया- क्र.स. 10 पर अन्य जिलों की सूची में बावरिया अनुसूचित जाति के सदस्य बताए गए किन्तु इसमें बावरी सम्मिलित नहीं है ऐसा नही कहा गया है न इस बात का कोई साक्ष्य है कि बावरी बावरिया एक ही जाति है-1969 सर्वोच्च न्यायालय 597 के अनुसार इस सूची के मुताबिक ही अनुसूचित जाति का निर्धारण करना है इसमें और कोई छानबीन करने का न्यायालय को अधिकार नहीं-रा.अपी.अधि. ने यह मानने में भूल की कि गंगानगर जिले में बावरी एंव बावरिया दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है-धारा 42 का कोई उल्लघंन नहीं जबकि विक्रयकर्ता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य ही साबित नहीं-राज्य सरकार धारा 175 में कोई अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं-दावा खारिज किया गया। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत Heera Lal versus State of Raj. & ors. Appeal Nos. 6014, 6093/ Chittorgarh of 2003, decided on 07 March 2018, में वर्णित किया है कि न्यायिक दृष्टान्त 1969 ए.आई.आर. एससी पेज 697, 1981 आर.आर.टी. पेज 571 एंव 1984 आरआरडी पेज 380 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अनुसूचित जाति की जो जातियां अधिसूचना में अंकित है, उसी जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य माना जायेगा, अन्य जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य होना नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, तत्पश्चात प्रतिप्रेषित निर्णयों की अनुपालना में उभयपक्ष की मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्व किये जाने के उपरान्त तनकीवार निर्णय में चमारिया जाति को अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित नहीं होने से प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 42 का उल्लंघन नहीं होना मानते हुए वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एंव अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Parasram and another, Versus Shivchand And others, Civil Appeal No. 1869 of 1967, D/- 28-11-1968, में वर्णित किया गया है कि A person properly described as mochi in punjab does not fall within the caste of Chamars as included in Constitution(Scheduled Castes) Order 1950 and Constitution(Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951 (as amended in 1966)- Court cannot scrutinise the Gazeteers and glossaries for this purpose. उसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में बावरी व बावरिया जाति को एक जाति मानने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। चूंकि विवादित भूमि का बेचान 23.04.1962 को बावरी जाति के व्यक्ति से जटसिख जाति के व्यक्ति को हुआ है। उस समय THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER 1950 में बावरी जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी में सामिल नहीं थी। इससे यह साबित नहीं होता है कि वादगत भूमि का बेचान अनुसूचित जाति के व्यक्ति से गैरअनुसूचित जाति के व्यक्ति को हुआ है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज व वादीगण का वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर चक 49 जीजीए, पटवार हल्का 52 जीर्जा(गुलाबेवाला), भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, जमाबन्दी सम्वत 2058 ता 61 के खाता संख्या 3/3 में काला सिंह पुत्र दल सिंह कौम बावरी के नाम दर्ज कुल 9.511 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादी मोहन सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी कुरेशियां तहसील श्रीकरणपुर को जरिए बैयनामा दिनांक 23.04.1962 को खरीद की गई भूमि चक 49 जीजी ए के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 20, 24, 25, मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 4, 9 ता 12, 17 ता 24, मुरब्बा नम्बर 51/12 की कुल 9.511 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

में अंकन किया जावे। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का अभिन्न भाग होगा। पत्रावली इस माफिक फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफतर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते